

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक: 23/127-99 वि०-टी।2।

दिनांक, चण्डीगढ़ : 29-3-2000

डी०ए०वी०पब्लिक स्कूल, सादौरा [यमुनानगर] को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से दसवीं स्तर की संबंधिता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के तहत जो रूल्ज बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

प्रशान्त महापात्र
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठान्त क्रमांक-सम-

दिनांक, चण्डीगढ़ : 25.4.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके यादी क्रमांक जी-2/99/9859 दिनांक 2-7-99 के तदर्थ में।
2. मुख्याध्यापक, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, सादौरा [यमुनानगर]।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092

अधीक्षक विद्यालय-1
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
Ryc